

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक F-37/DTP/JDA/09/२८७

दिनांक :- ३०/६/०९

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.06.09 में लिये गये निर्णय अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है।

1. आयुक्त - संयोजक
2. सचिव
3. निदेशक (अभियांत्रिकी)
4. निदेशक (विधि)
5. उपायुक्त (संबंधित)
6. उप खण्ड अधिकारी (संबंधित)
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
8. राजरव तहसीलदार (संबंधित)
9. अधिशासी अभियन्ता (संबंधित)
10. निदेशक (आयोजना) - सदस्य सचिव

सम्बन्धित उपायुक्त स्तर पर ये सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 में धारा ७०वीं नियमन के लिए निर्धारित 60 दिवस व 120 दिवस की समय सीमा की पूर्णतया पालना हो एवं तदनुसार ले-आउट अनुमोदन की पत्रावालियां पूर्ण कर निर्धारित समयावधि में सदस्य सचिव, ले-आउट कमेटी को प्रेषित की जावें। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ले-आउट प्लान पारित करने हेतु निम्न आंतरिक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है : -

1. सम्बन्धित उपायुक्त के द्वारा पूर्ण की जाने वाली चैक लिस्ट
i. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार समरत आवश्यक पूर्ण/अपूर्ण दस्तावेज संलग्न है।
ii. राजरव तहसीलदार की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध है। योग्य/अयोग्य
iii. प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध है। योग्य/अयोग्य
iv. विधी शाखा की रिपोर्ट उपलब्ध है। योग्य/अयोग्य
v. भूमि अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट उपलब्ध है। योग्य/अयोग्य
vi. वरिष्ठ नगर नियोजक की रिपोर्ट मध्य मार्टर प्लान के भू-उपयोग के उपलब्ध है। योग्य/अयोग्य
2. पत्रावली पूर्ण व योग्य होने पर सम्बन्धित उपायुक्त उपरोक्त चैक लिस्ट के साथ सदस्य सचिव, ले-आउट समिति को आग्रेषित करेंगे। अपूर्ण/अयोग्य होने पर आवेदक को सूचित करेंगे।
3. सदस्य सचिव पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट व दस्तावेजों के सम्बन्ध में मोका निरीक्षण कर अपनी वेस्टिंग के साथ ले-आउट कमेटी की बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे।

- सदरय सचिव, अध्यक्ष, ले-आउट कमेटी की रवौकृति प्राप्त कर नियमित रूप से बैठक आहुत करेंगे।
- अध्यक्ष, ले-आउट कमेटी की रवौकृति प्राप्त कर सदरय सचिव कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी करेंगे एवं कमेटी द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान का रजिस्टर में इन्द्राज करेंगे। प्रत्येक अनुमोदित ले-आउट प्लान का पृथक क्रमांक होगा। ले-आउट प्लान हस्ताक्षर कर एक प्रति पत्रावर्ले सहित सम्बन्धित उपायुक्त को भेजेंगे।
- सम्बन्धित उपायुक्त राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन एवं 90वी के अन्तिम निर्णय/आदेश जारी किये जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा देय राशि जमा करवाने के पश्चात 15 दिवस की अवधि में आवेदक को अनुमोदित मानवित्र उपलब्ध करवायेंगे।

संलग्न :—

- राज्य तहसीलदार रिपोर्ट का प्रारूप
- प्राधिकरण, तहसीलदार रिपोर्ट का प्रारूप
- आवेदन पत्र के साथ रांगन किये जाने वाले आवश्यक दरतावेजों की सूची

(गौरव गोयल)
 अई. ए. एस.
 आयुक्त
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर

फॉर्मांक F-37/DT/P/JDA/09/

दिनांक :—

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- निजी सचिव अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निजी सचिव आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- उप खण्ड अधिकारी,
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर।
- राज्य तहसीलदार,
- अधिशासी अग्रियन्ता, I / II / III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

— ५८ —
 (गौरव गोयल)
 अई. ए. एस.
 आयुक्त
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर

राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट

- 1- प्रस्तावित भूमि का राजरव रेकर्ड में अंकन।
- 2- प्रस्तावित भूमि पर कब्जों की स्थिति
- 3- आवेदक वर्तमान में आवेदित भूमि का खातेदार है अथवा नहीं/ सभी सहखातेदारों ने संस्कृत रूप से आवेदन किया है अथवा नहीं
- 4- प्रस्तावित भूमि के पूरे खसरे का 90-वी हेतु आवेदन किया है अथवा आंशिक भाग हेतु? आंशिक भाग हेतु आवेदन किया है तो राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम हो चुकी है अथवा नहीं?
- 5- भूमि पर कोई निर्माण हो तो विवरण अंकित करें
- 6- वया काश्तकार ने प्रस्तावित भूमि का गैर कृषि उपयोग कर लिया है अथवा गैर कृषि प्रयोजनार्थ हरतान्तरण कर दिया है अथवा ऐसी इच्छा जाहिर की है।
- 7- भूमि के रांवंध में किसी राजरव/सिविल न्यायालय में कोई दावा/वाद विचाराधीन हो तो विवरण। यदि रथगन हो तो विवरण लिखें। अन्य कोई मौके पर विवाद हो तो उसका विवरण
- 8- प्रस्तावित भूमि राजरथान विधियां (रांशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 11 तथा 12 से तो प्रभावित नहीं है – अर्थात् देवरथान, ववफ, मंदिर, माफी, डोली, सांविज्ञिक व धार्मिक प्रन्यासा, सिलिंग प्रगावित अथवा राजरथान भूमि सुधार तथा भूस्वामी एरटेट अवासि अधिनियम 1963 से तो प्रभावित नहीं है।
- 9- मौके पर भूमि में से सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक प्रयोग हो रहा हो तो उसका विवरण
- 10- प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क/सियायती दर पर आवंटित की गई है।
- 11- प्रस्तावित भूमि की दूरी
 - 1- रेल मार्ग से
 - 2- सड़क – राष्ट्रीय राज मार्ग से
 - राज्य मार्ग से
 - अन्य मार्ग से
- 12- भूमि की किस्म यथा नदी, नाला, तालाब, नाड़ी, बहाव या प्रतिबंधित क्षेत्र तो नहीं है

- 13— भूमि वित्ती राजकीय या अन्य वित्ती विभाग यथा रीको, कृषि उपज मण्डी, आवारान मण्डल, रोगा आरि या निजी प्रयोजनार्थ अवाधिसुदा/ अवाप्ताधीन तो नहीं हैं?
- 14— मौके पर भूमि का सीमांकन कर मुटाम लगा दिये गये हैं एवं मौके पर आवेदित भूमि का क्षेत्र का पूरा रकबा सपलब्ध है अथवा नहीं?
- 15— खसरा मैप को लो-आउट प्लान पर यही प्रकार से सुपर इम्पोज किया है और मौके रिकार्ड एवं नक्शे की स्थिति मिलान करती है अथवा नहीं?
- 16— प्रस्तावित भूमि बमडग से 900 भीटर की परिधि एवं एयरपोर्ट से 100 भीटर की परिधि क्षेत्र में तो नहीं है? यदि है तो उसका विवरण अंकित करें।
- 17— प्रस्तावित भूमि के समर्पण के संबंध में आपत्ति अथवा अनुशांता

हस्ताक्षर

राजरच तहसीलदार
(तहसील

राजस्थान भू-राजरक अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत पुनः आवंटन

मौका रिपोर्ट

- 1- नाम ग्राम तहसील
- 2- 1970 की विभागीय कंज अनुसार जीन राखा
- 3- भूमि का खसरा नम्बर
- 4- खातेदार का नाम सभ्य वल्डियात
पता
- 5- आवेदक ही प्रस्तावित भूमि का खातेदार है अथवा पावर ऑफ एटार्नी लॉलर या अन्य वाले हैं
- 6- 90-वीं हेतु प्ररता वित भूमि संपूर्ण रखवे की है अथवा आंशिक भाग की/तरमीम वायत ठिप्पणी

- 7- मौके पर काविज्ञ व्याख्यित जिनके बारे में स्थल पर जानकारी प्राप्त हुई/ निर्माण का विवरण

क्र.सं	व्याख्यित का नाम	खसरा नम्बर	रक्का	निर्मित इकाइयों का विवरण	निर्मित भवन का उपयोग	वृक्षाशोषण

- 8- मौके पर रिथत ऐसे भूखण्ड जिनके कब्जे धारियों के बारे में पूछताछ से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई:-

क्र.सं	खसरा नम्बर	कब्जे का ईकाइयों का विवरण	मौके की रिथति

- 9- देवस्थान, माफी, मादिर/धार्मिक अथवा वैरिटेशन रास्थान की भूमि/वयफ की भूमि तो नहीं है, यदि हा तो विवरण देवे

- 10- रेल गार्म/राष्ट्रीय सड़कगार्म/राजगार्म/जिला गार्म अन्य गार्म के केन्द्र विन्दु से खारे की भूमि की दूरी :-

- 1- रेल गार्म से
- 2- राडक - राष्ट्रीय राज गार्म से
 - राज्य मार्ग से
 - जिला गार्म
 - अन्य गार्म से
- 11- प्रस्तावित भूखण्ड विरकी नदी, नालो, जोहड़, पायतन, तालाब अथवा अन्य बहाव अथवा झूँझूँ क्षेत्र में आती है या नहीं
- 12- प्रस्तावित भूखण्ड नाम विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अवाक्षसुदा अथवा अवाक्षिधीन है अथवा नहीं यदि अवाक्षिधीन अथवा अवाक्षिधीन हो तो योजना का नाम व उपयोग क्या है
- 13- प्रस्तावित भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की योजना का हिस्सा है अथवा नहीं
- 14- प्रस्तावित भूमि के संबंध में किरकी न्यायालय का वाद/स्थगन आदेश हो तो जानकारी दें
- 15- गांके पर भूमि का सीमांकन दर्शाने हेतु गुटाम लगाये हैं या नहीं
- 16- भूमि के सीमांकन के संबंध में पड़ोसी खातेदारों से कोई विचार तो नहीं है
- 17- मौके पर प्लाटों एवं सुविधा क्षेत्र हेतु पीलर लगाये गये हैं अथवा नहीं तो ये नवयो के अनुरूप एवं माप अनुसार हैं अथवा नहीं?
- 18- प्रस्तावित भूमि के समर्पण वायत आपत्ति/अनुशासा

प्राधिकरण तहसीलदार

प्राधिकरण पटवारी

90—वी हेतु आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1— यदि आवेदक आमगुह्यार हैं तो नोटरी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर्ड आम नुख्यारनाम की प्रतिलिपि

2— यदि कंपनी आवेदक हैं तो पंजीयन प्रमाण—पत्र का मोमेरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एरोरेशन की प्रमाणित प्रति, कंपनी वोई ऑफ भायरेवटर द्वारा गिरेशन के पक्ष में जारी प्रस्ताव की प्रति।

3— यदि आवेदक फर्म/संरथा हैं तो पंजीयन दस्तावेज की प्रति।

4— शपथ—पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल रटाम्प पर (निर्धारित प्रारूप में)

5— क्षटिपूर्ति वंध—पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल रटाम्प पर (निर्धारित प्रारूप में)

6— कोई विवाद/कोर्ट कैस/रथगन नहीं होने का 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल रटाम्प पर शपथ—पत्र

7— जमावंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि

8— नवशा ट्रैस

9— खसरा मैप

10— भूमि का नवशा 1':5' फीट की रकैल पर। उक्त नवशे पर खसरा सुपरइम्पोज किया होना चाहिए। नवशे में एरिया वर्गीकरण, फ्लाट की संख्या, गाप, सड़क की चौड़ाई, जन सुविधा आदि का स्पष्ट अंकन हो (6 प्रति में)

11— आवेदित रथल एवं आसपास के क्षेत्र का प्लॉन टेबल सर्वे की प्रति

12— प्ररतावित भूमि तक पहुचने हेतु सापर्क सड़क का अंकन करावें। यदि सम्पर्क सड़क का टाइटल किसी अन्य व्यक्ति का है तो उसरो 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल रटाम्प पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में निःशुल्क समर्पण का सहगति—पत्र प्रस्तुत करें। सापर्क सड़कों की चौड़ाई निम्नानुसार होना आवश्यक है:—

- 1— 5 एकड़ क्षेत्रफल तक की योजना के लिए — 40 फीट चौड़ी सड़क
- 2— 5 से 10 एकड़ क्षेत्रफल तक की योजना के लिए — 60 फीट चौड़ी सड़क
- 3— 10 से 50 एकड़ क्षेत्रफल तक की योजना के लिए — 80 फीट चौड़ी सड़क
- 4— 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजना के लिए — 100 फीट चौड़ी सड़क

13— आवेदक द्वारा संरथा को प्रस्तुत किए गए मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित विवरण अधेक्षित हैं।

- 1— आर्किटेक्ट/झाफटमैन/सिविल इंजिनियर का नाम व पता
- 2— पर्म यदि कोई हो तो नाम पता
- 3— यदि आर्किटेक्ट हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन संख्या

- 4-- आर्किटेक्ट/ड्राफटमैन/सिविल इंजिनियर द्वारा 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल रसाम्प पर दिया गया शपथ-पत्र जिसमें सत्यापित किया जावेगा कि तैयार किया गया ले-आउट प्लान नियमों के अनुरूप है।
- 14-- मानविक अनुमोदन हेतु जमा करवाए गए आवेदन शुल्क की प्रति।